उत्तर प्रदेश सरकार
भाषा अनुभाग-1
संख्या–315 /21–1–2007–सा0–7/2007
लखनऊः दिनांक 28 जून,2007

कार्यालय–ज्ञाप

एतद्द्वारा श्री राज्यपाल महोदय उ0प्र0 अधिसूचना संख्या–135/21–1–98–5(3)/94, दिनांक 17 मार्च,1998 तथा अधिसूचना संख्या–735/21–1–98–5(3)/94,दिनांक 03 अक्टूबर,1998 के अनुक्रम में उ0प्र0 पंजाबी अकादमी की नियमावली के नियम–8(2) को संशोधित किये जाने के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित विवरण के अनुसार परिवर्द्धन/संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

स्तम्भ–1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
नियम–8(2)– गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल उनके नामांकन के दिनांक से तीन वर्ष तक होगा परन्तु उनका कार्यकाल शासन द्वारा पहले भी समाप्त किया जा सकता है। यदि उनका कार्यकाल इस नियमावली के प्राविधानों के अनुसार पहले ही समाप्त नहीं कर दिया गया हो तो ऐसे सदस्य अकादमी के पुनर्गठन के समय तक अपने पद पर बने रहेंगे तथा उन्हें पुनः नामित किया जा सकेगा।	नियम–8(2)– गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल उनके नामांकन के दिनांक से एक वर्ष तक होगा परन्तु उनका कार्यकाल शासन द्वारा पहले भी समाप्त किया जा सकता है।

डा0 अनिता भटनागर जैन
सचिव

संख्या--314 (1)/21-1-2007-सा0-7/2007

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1 निजी सचिव,मंत्रिमण्डलीय सचिव,उत्तर प्रदेश शासन।
2-- निजी सचिव,प्रमुख सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी,उत्तर प्रदेश शासन।
3-- निजी सचिव,प्रमुख सचिव/सचिव,भाषा विभाग,
4-- प्रमुख सचिव,न्याय विभाग।
5-- प्रमुख सचिव,वित्त विभाग।
6-- प्रमुख सचिव,शिक्षा विभाग।
7-- निदेशक,सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/संस्कृति विभाग।
8-- कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।

आज्ञा से,

(चन्द्र मौलि शुक्ल)
ज्येष्ठ भाषा अधिकारी